रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1327] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 16, 2012/आषाढ़ 25, 1934
No. 1327] NEW DELHI, MONDAY, JULY 16, 2012/ASADHA 25, 1934

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2012

का.आ. 1583(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों से न्यायिक आयुक्त के न्यायालय, रांची को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2152 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण झारखण्ड राज्य था;

और जबकि, झारखण्ड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री सरफ़राज़ हसन काजमी, प्रधान न्यायिक आयुक्त, रांची के नाम की संस्तुति की है;

अत: अब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा

श्री सरफ़राज़ हसन काजमी, प्रधान न्यायिक आयुक्त, रांची को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Internal Security-I Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2012

S.O. 1583(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of Judicial Commissioner, Ranchi as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Jharkhand, vide notification number S. O. 2152 (E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Jharkhand has recommended the name of Shri Sarfaraz Hasan Kazmi, Principal Judicial Commissioner, Ranchi, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri Sarfaraj Hasan Kazmi, Principal Judicial Commissioner, Ranchi as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2012

का.आ. 1584(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों से अपर मेट्रोपालिटन सत्र न्यायाधीश-सह-XVIII अपर मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय, नगर सिविल न्यायालय,

हैदराबाद को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2161 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य था;

और जबकि, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री वी. राधा कृष्णा कुरुपा सागर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम की संस्तुति की है;

अत: अब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री वी. राधा कृष्णा कुरुपा सागर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए **"न्यायाधीश"** के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2012

S.O. 1584(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of Additional Metropolitan Sessions Judge-cum-XVIII Additional Chief Judge, City Civil Court, Hyderabad as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Andhra Pradesh, vide notification number S. O. 2161 (E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court, of Andhra Pradesh has recommended the name of Sri V. Radha Krishna Krupa Sagar, District and Sessions Judge, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Sri V. Radha Krishna Krupa Sagar, District and Sessions Judge as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2012

का.आ. 1585(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों से विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, भोपाल को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2161 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य था;

और जबकि, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री वी. के. पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एन डी पी एस अधिनियम), भोपाल के नाम की संस्तुति की है;

अत: अब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री वी. के. पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एन डी पी एस अधिनियम), भोपाल को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए **"न्यायाधीश"** के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2012

S.O. 1585(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of Special Judge, Bhopal as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Madhya Pradesh, vide notification number S. O. 2161 (E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh has recommended the name of Shri V. K. Pandey, ASJ & Special Judge (NDPS Act), Bhopal to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri V. K. Pandey, ASJ and Special Judge (NDPS Act), Bhopal as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2012

का.आ. 1586(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों से वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, मोहाली को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2154 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण पंजाब राज्य था;

और जबकि, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री राजिन्दर सिंह राय, वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, मोहाली के नाम की संस्तुति की है;

अत: अब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री राजिन्दर सिंह राय, वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, मोहाली को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए **"न्यायाधीश"** के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

2603 92/12 -2

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2012

S.O. 1586(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of Senior Most Additional Sessions Judge at Mohali as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Punjab, vide notification number S. O. 2154 (E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Acting Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, Chandigarh has recommended the name of Shri Rajinder Singh Rai, Senior Most Additional Sessions Judge, Mohali to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri Rajinder Singh Rai, Senior Most Additional Sessions Judge, Mohali as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2012

का.आ. 1587(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों से वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, पंचकुला को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2155 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण हरियाणा राज्य था;

और जबकि, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए सुश्री कंचन माही, वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, पंचकुला के नाम की संस्तुति की है;

अत: अब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा सुश्री कंचन माही, वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, पंचकुला को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2012

S.O. 1587(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of Senior Most Additional Sessions Judge at Panchkula as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Haryana vide notification number S. O. 2155 (E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Acting Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, Chandigarh has recommended the name of Ms Kanchan Mahi, Senior Most Additional Sessions Judge, Panchkula, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Ms Kanchan Mahi, Senior Most Additional Sessions Judge, Panchkula as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2012

का.आ. 1588(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों से वरिष्ठतम अपर सत्र

न्यायाधीश के न्यायालय, चंडीगढ़ को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2153 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्रीमती शालिनी सिंह नागपाल, वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ के नाम की संस्तुति की है;

अतः अब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्रीमती शालिनी सिंह नागपाल, वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए **"न्यायाधीश"** के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2012

S.O. 1588(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of Senior Most Additional Sessions Judge at Chandigarh as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the Union territory of Chandigarh vide notification number S. O. 2153 (E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Acting Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, Chandigarh, has recommended the name of Mrs Shalini Singh Nagpal, Senior Most Additional Sessions Judge, Chandigarh to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central

Government hereby appoints Mrs Shalini Singh Nagpal, Senior Most Additional Sessions Judge, Chandigarh as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI (IV)]
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2012

का.आ. 1589(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों से वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, सिलीगुड़ी को दिनांक 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 951 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल राज्य का दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिला था;

और जबकि, कोलकाता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय न्यायालय, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग के रूप में स्थानांतरण संबंधी आदेश के अन्तर्गत श्रीमती सुब्रत हाजरा (साहा), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-2, बसीरहाट, 24-परगना (उत्तरी) के नाम की संस्तुति की है;

अत: अब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय न्यायालय, सिलीगुडी, दार्जिलिंग के रूप में स्थानांतरण संबंधी आदेश के अन्तर्गत श्रीमती सुब्रत हाजरा (साहा), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-2, बसीरहाट, 24-परगना (उत्तरी) को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए **"न्यायाधीश"** के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV)]
धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

2603 GI/12-3

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2012

S.O. 1589(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of Senior Most Additional District and Sessions Judge at Siliguri as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction within the District of Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Bihar of the State West Bengal vide notification number S. O. 951 (E), dated the 29th April, 2011;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of Calcutta has recommended the name of Smt. Subrata Hazra (Saha), Additional District & Sessions Judge, Fast Track Court-2, Basirhat, 24-Parganas (North) under order of transfer as Additional District & Sessions Judge, 2nd Court, Siliguri, Darjeeling to preside over the said Special Court, Siliguri;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Smt. Subrata Hazra (Saha), Additional District & Sessions Judge, Fast Track Court-2, Basirhat, 24-Parganas (North) under order of transfer as Additional District & Sessions Judge, 2nd Court, Siliguri, Darjeeling as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2012

का.आ. 1590(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, पोर्ट ब्लेयर को दिनांक 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 953(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, कोलकाता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के रूप में स्थानान्तरण संबंधी आदेश के अंतर्गत श्री सुगातो मजुमदार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 15वां न्यायालय, अलीपुर, 24-परगना (दक्षिणी) के नाम की संस्तुति की है;

अत: अब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के रूप में स्थानान्तरण संबंधी आदेश के अंतर्गत श्री सुगातो मजुमदार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 15वां न्यायालय, अलीपुर, 24-परगना (दक्षिणी) को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए **"न्यायाधीश"** के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2012

S.O. 1590(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of the District and Sessions Judge at Port Blair as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the Whole of the Union territory of Andaman and Nicobar Islands vide notification number S. O. 953 (E), dated the 29th April, 2011;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of Calcutta has recommended the name of Sri Sugato Majumdar, Additional District & Sessions Judge, 15th Court, Alipore, 24-Parganas (South) under order of transfer as District & Sessions Judge, A & N Islands at Port Blair to preside over the said Special Court, Port Blair;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Sri Sugato Majumdar, Additional District & Sessions Judge, 15th Court, Alipore, 24-Parganas (South) under order of transfer as District & Sessions Judge, A & N Islands at Port Blair as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI (IV)]

2603-4

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2012

का.आ. 1591(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों से मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय, नगर सत्र न्यायालय, कोलकाता को दिनांक 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 952(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों को छोड़कर पश्चिम बंगाल के सभी जिलों तक था;

और जबकि, कोलकाता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री अशोक कुमार मंडल, मुख्य न्यायाधीश, नगर सत्र न्यायालय, कोलकाता के नाम की संस्तुति की है;

अत: अब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री अशोक कुमार मंडल, मुख्य न्यायाधीश, नगर सत्र न्यायालय, कोलकाता को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए **"न्यायाधीश"** के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2012

S.O. 1591(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of the Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction in the districts, except of the Districts of Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Bihar, of the State West Bengal, vide notification number S. O. 952 (E), dated the 29th April, 2011;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of Calcutta has recommended the name of Sri Asoke Kumar Mondal, Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta to preside over the said Special Court, Calcutta;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Sri Asoke Kumar Mondal, Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI (IV)]
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054